तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11.06.2025 पत्रावली पेश। अभिभाषकगण प्रार्थीगण व राज्य अधिवक्ता उप०। तहसीलदार, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट अप्राप्त। स्मरण-पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो। [signature]	
	16.07.2025 अभिभाषकगण उप०। PO Sb मय राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11.09.2025 को पेश हो। [signature]	
	11.09.2025 बार संघ के प्रस्ताव के कारण अभिभाषकगण उपस्थिति नहीं दे रहे है।पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है।पत्रावली दिनांक..21.11.2025 को पेश हो। [signature]	
	21.11.2025 पत्रावली पेश। अभिभाषकगण उप०। तहसीलदार, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट अप्राप्त। स्मरण-पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.01.2026 को पेश हो। [signature]	
		नम्बरदार कृष्ण लाल ~~सम्पतिपरसयण~~ राकेश पुत्रगण रामकिशन राजीनामा होने से उक्त प्रकरण चलाना नहीं चाहते है। Ashok 31.12.2025 अशोक भादू एड. अधि० प्रार्थीगण [signature]

प्रकरण सं0 01/2024 अनवानी हनुमान प्रसाद आदि बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31.12.2025 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश कर पत्रावली पेशी में लिए जाने के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई। अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 141 सीपीसी एवं सशोधित शीर्षक पेश कर प्रार्थी संख्या 01 के फौत होने पर प्रार्थी संख्या 01 के वारिसानों को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 01 के वारिसों को बतौर प्रार्थी पक्षकार बनाया जाता है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय राजीनामा पेश कर प्रकरण विड्रा करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण द्वारा पेश राजीनामा पारिवारिक राजीनामा है, आवश्यक पक्षकार का राजीनामा नही है। प्रश्नगत भूमि जागीर की थी इसका कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिला कलक्टर महोद्य द्वारा वर्ष 2003 में भूमि को माफी मन्दिर दर्ज किया गया है। इसलिए उक्त राजीनामा इस प्रकरण में स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। चुकिं प्रार्थीगण प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते एवं विड्रा करना चाहते है। अतः प्रकरण दाखिल दफ्तर किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है की भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत माफी मन्दिर रहे। (उम्मेदी लाल मीना) अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़	